



वैश्य एजुकेशन सोसायटी रोहतक
कॉलेजियम चुनाव – 2025
नामांकन पत्र

Photo
of
Candidate

मैं पिता/ पति का नाम श्री
मतदाता कॉलेजियम नं० क्रम संख्या सदस्यता रजिस्ट्रेशन नः
वैश्य एजुकेशन सोसायटी (रजि०) रोहतक के कॉलेजियम नं. के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी (Candidate) के
रूप में निम्नलिखित का नाम निर्दिष्ट (Refer) करता हूँ

अभ्यर्थी (Candidate) पिता/पति का नाम
पता का नाम वैश्य एजुकेशन सोसायटी
(रजि०) रोहतक की निर्वाचक नामावली के कॉलेजियम नं० के क्रम संख्या और अभ्यर्थी का
सदस्यता रजिस्ट्रेशन नः है ।

तारीख.....

प्रस्तावक (Proposer) के हस्ताक्षर

मैं पिता/ पति का नाम श्री इस
नामांकन के लिए अपनी सहमति देता हूँ और एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मैंने वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(ख) मैंने जो चुनाव चिह्न चुने हैं वे अधिमान (Preference) क्रम में इस प्रकार हैं ।

1..... 2..... 3.....

(ग) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं वैश्य एजुकेशन सोसायटी रोहतक के कॉलेजियम सदस्य चुने
जाने के लिए अर्हित (Eligible) हूँ और साथ ही निरर्हित (Ineligible) भी नहीं हूँ।

(घ) मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं जाति से सम्बन्ध रखता हूँ तथा मेरा गोत्र है ।

तारीख.....

अभ्यर्थी (Candidate) के हस्ताक्षर
मोबाइल नं

(सहायक/रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

यह नामांकन पत्र क्रम संख्या तारीख को बजे अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

तारीख

निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी

(कानूनी नियम और आदेश)

मैंने इस नामांकन पत्र की भली भाँति जाँच कर ली है और मैं इस नामांकन पत्र को वैध/ अवैध घोषित करता हूँ तथा उम्मीदवार
को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है ।

दिनांक

निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी



वैश्य एजुकेशन सोसायटी रोहतक

कॉलेजियम चुनाव – 2025

नामांकन पत्र प्राप्त करने की रसीद

अभ्यर्थी श्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/धर्मपत्नी श्री
से तारीखको कॉलेजियम संख्या के लिए नामांकन पत्र प्राप्त किया।

Authorised Signatory

AFFIDAVIT

I _____ S/o _____

R/o _____ do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That I have completed the age of 25 years and old member of the Society more than 3 years.
2. That I am Life member of Vaish Education Society (Regd.), Rohtak and my membership Registration No. is _____ in collegium No. _____ at Sr. No. _____ in the voter list.
3. That I am not the employee in any of the Institution run by the Vaish Education Society (Regd.), Rohtak.
4. That no dues of the society are pending against me.
5. That I have never been convicted by any court of law for any offence of moral turpitude.
6. That I am contesting the election from collegium No. _____.
7. That I will obey the Model Code of Conduct.
8. That I will obey the provisions of Prevention of Defacement of Public Property Act.
9. That I will abide by the Society constitution and rule made therein.

Place:

Date

DEPONENT

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing has been concealed therein.

DEPONENT



Vaish Education Society Collegium Election – 2025

Proforma for appointment of Polling Agent

I.....candidate for Collegium No.....

hereby appoint Sh.

Address.....

.....

Photo of Polling
Agent

as a Polling Agent for the collegiums election to be held on dt. 20/07/2025, in case I am absent.

Signature of the Candidate

I agree to act as such Polling Agent.

Dated.....

Signature of Polling Agent

Name.....

Collegium No.....Sr. No.....Regn. No.....

Note:

1. A Candidate can appoint only one polling agent from the collegium from which the candidate is contesting.
2. Agent should enclose the Photocopy of Society Voter Card.

Signed before me

Sign of Polling Agent

Dated:.....

Returning Officer/Assistant Returning Officer



Vaish Education Society (Regd.) Rohtak
Election 20th July 2025
Candidate Identity Card

Name of Candidate-----

Address-----

Contesting Collegium No. ----- Regn. No. -----

Mobile No.....

*Photo of
candidate*

Candidate Sign.

RO / ARO



Vaish Education Society (Regd.) Rohtak
Election 20th July 2025
Polling Agent Identity Card

Name of Agent-----

Address-----

Collegium No. -----

Candidate Name.....

*Photo of
Poling
agents*

Agent Sign.

RO / ARO

नामांकन पत्र भरने के लिए नियम, चुनाव 2025

1. नामांकन कार्यक्रम वैश्य पब्लिक स्कूल स्थित निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में रखा गया है। अतः चुनाव कार्यक्रमानुसार नामांकन फार्म सम्बन्धित सभी दस्तावेज सहित निर्वाचन अधिकारी/सम्बन्धित सहायक निर्वाचन अधिकारी/अधिकृत स्टाफ सदस्य के पास जमा करवाने होंगे।
2. नामांकन फार्म जमा करवाते समय प्रत्याशी का स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है।
3. नामांकन पत्र सोसायटी की वेबसाइट www.vesrohtak.org से निःशुल्क डाउनलोड करके भर सकते हैं या उसकी प्रति सोसायटी कार्यालय से 100 रुपये नकद देकर प्राप्त कर सकते हैं।
4. प्रस्तावक उसी कालेजियम का मतदाता होना चाहिए जिससे प्रत्याशी अपना नामांकन भरना चाहता है। जबकि प्रत्याशी किसी भी कॉलेजियम से नामांकन दाखिल कर सकता है।
5. नामांकन पत्र साफ-साफ एवं स्पष्ट अक्षरों में भरें। किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग न करें।
6. नामांकन पत्र में उपनाम (Nick Name) लिखना वर्जित है।
7. प्रत्याशी का नाम वोटर लिस्ट/ संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र के अनुसार ही होना चाहिए।
8. नामांकन फार्म के साथ एक Affidavit, पहचान का सबूत, पते का सबूत एवं सोसायटी द्वारा जारी परिचय पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति सलग्न करें। निर्वाचन अधिकारी/ सम्बन्धित सहायक निर्वाचन अधिकारी/ अधिकृत स्टाफ सदस्य को प्रत्याशी एवं प्रस्तावक दोनों का मूल परिचय पत्र दिखाना आवश्यक है।
- 9- Affidavit 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
10. प्रत्येक प्रत्यासी को 11000/- रुपये नामांकन फीस जमा करवाना होगा। नामांकन फीस नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में युनियन बैंक ऑफ इंडिया, वी.टी.आई शाखा के खाता संख्या 522102010047483 **‘Election Fund Vaish Education Society Rohtak’** में जमा करवाना है। राशि जमा करवाने के लिए निर्धारित फार्म सोसायटी की वेबसाइट www.vesrohtak.org से डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं अथवा सोसायटी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
11. प्रत्येक प्रत्याशी नामांकन पत्र के साथ नामांकन फीस के रूप में जमा की गई बैंक रसीद/ चालान फार्म की मूल कापी (VES office copy) सलग्न करें।
12. एक प्रत्यासी एक पोलिंग एजेन्ट बना सकता है, जोकि प्रत्यासी के कालिजियम क्षेत्र का आजीवन सदस्य हो। पोलिंग बूथ पर एक समय में प्रत्यासी या उसका पोलिंग एजेन्ट, दोनों में से एक हाजिर रह सकता है।
13. काउन्टिंग/गणना के समय प्राथमिक तौर पर प्रत्यासी ही उपस्थित रहने के लिए अधिकृत है। अपरिहार्य स्थिति में ही प्रत्यासी की स्वीकृति से एजेन्ट को अधिकृत किया जाएगा।
14. अभ्यर्थी के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता पालन करना अनिवार्य है।
15. एक सदस्य एक कालिजियम में केवल एक अभ्यर्थी के नाम का प्रस्तावक बन सकता है। यदि उसने एक ही कालिजियम में दो अभ्यर्थियों के नाम का प्रस्ताव किया है तो दोनों नामांकन रद्द होंगे।

नामांकन पत्र वापिस लेने के लिए नियम

1. नामांकन वापिस लेने के लिए अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा (जो की नामांकन स्थल पर उसी समय उपलब्ध होगा) भरकर निर्वाचन अधिकारी/सम्बन्धित सहायक निर्वाचन अधिकारी/अधिकृत स्टाफ सदस्य के सम्मुख स्वयं उपस्थित होना होगा।
2. अभ्यर्थी को निर्धारित प्रोफार्मा के साथ स्वयं सत्यापित पहचान सबूत की छायाप्रति जमा करवाना होगा तथा असली पहचान सबूत निर्वाचन अधिकारी/ सम्बन्धित सहायक निर्वाचन अधिकारी को दिखाना होगा।
3. नामांकन वापसी फार्म पर अभ्यर्थी द्वारा किए गए हस्ताक्षर का मिलान किया जाना है।

निर्वाचन अधिकारी
वैश्य एजुकेशन सोसायटी, रोहतक